

No. HQ/PIO/RTI/207/15

Date: 27.05.2015

Sh. Shakti Singh Chauhan,
"Shakti Kunj", Near Railway Line,
Subhash Nagar, H.No.24/18E,
Byawar Road, Ajmer,
Rajasthan, Pin-305001.

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt.11.03.2015, received in this office on 15.05.2015.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:-

रेल संशोधन अधिनियम, 2008 को किसी भी आदेश-अधिसूचना अथवा सर्कुलर के द्वारा निरस्त अथवा खारिज नहीं किया गया है। यद्यपि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 में प्रदत्त अधिकारों के तहत प्रतिकर की राशि हेतु तत्संबंधी अध्यादेश द्वारा (31 दिसंबर 2014 को जारी) विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं।


(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to:-

1. CPIO-61 & Dir. (L&A), Railway Board – In reference to Board's letter No. RB/RTI/2014/010050385 dt. 29.04.2015.
2. GM/SEMUC/WC